भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 44

21.07.2025 को उत्तर के लिए

भारतीय समुद्र में खतरनाक कार्गो के डूबने का पर्यावरणीय प्रभाव

44. श्री हैबी ईडन :
श्री एंटो एन्टोनी :
एडवोकेट डीन कुरियाकोस :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारतीय समुद्री क्षेत्र में डूबे या क्षतिग्रस्त विदेशी ध्वज वाले कंटेनर पोतों, एमएससी एल्सा 3 और एमवी वान हाई 503 शामिल हैं, से खतरनाक कार्गो, रसायनों या तेल के संभावित रिसाव की जानकारी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने कोच्चि तट पर एक कंटेनर पोत एमएससी एल्सा 3 के डूबने और कन्नूर तट पर एक कंटेनर पोत एमवी वान हाई 503 में आगे लगने की घटना के बाद विस्तृत पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) किया है या आरंभ किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास तेल रिसाव, रासायनिक रिसाव और प्लास्टिक पेलेट के समुद्र में फैलाव जैसी समुद्री दुर्घटनाओं से उत्पन्न पर्यावरणीय आपात स्थितियों से निपटने के लिए कोई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रदूषण फैलाने पर जुर्माने का प्रावधान लागू किया है जिसमें कि जिम्मेदार पोत-परिवहन कंपनियां पर्यावरण को होने वाली क्षति की भरपाई की पूरी लागत वहन करें और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में तेल रिसाव और रसायन रिसाव के ऐसे मामलों के लिए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम के तहत दर्ज मामलों की कुल संख्या कितनी है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) दिनांक 25 मई 2025 को खतरनाक सामग्री और समुद्री ईंधन सहित 643 कंटेनरों को ले जा रहा एमएससी ईएलएसए 3, अलप्पुझा के तट पर डूब गया था भारतीय तटरक्षक बल (आईसीजी) विभिन्न समुद्री क्षेत्रों के तटीय और समुद्री वातावरण में तेल प्रदूषण से निपटने के लिए केंद्रीय समन्वय एजेंसी है। सतह पर दिखाई देने वाली हल्की तेल की चमक, घटनास्थल पर मौजूद स्टैंडबाय पोत द्वारा और लहरों की प्राकृतिक क्रिया के कारण छँट गई है। कुल 66 कंटेनर बहकर किनारे आ गए और जहाज मालिकों द्वारा नियुक्त एजेंसी द्वारा उन्हें बरामद कर लिया गया है। इन 66 कंटेनरों में से किसी में भी खतरनाक सामान नहीं था, इसलिए किसी नुकसान या खतरे की सूचना नहीं है। केरल तट और दक्षिणी तमिलनाडु तट से लगभग 540 मीट्रिक टन प्लास्टिक नर्डल्स एकत्र किए गए हैं।

एमवी वान हाई 503 के मामले में कंटेनर पोत में दिनांक 09.06.2025 को अझिक्कल तट से लगभग 44 समुद्री मील दूर आग लग गई थी और विस्फोट हो गया था भारतीय तटरक्षक बल, भारतीय नौसेना, नौव्हन महानिदेशालय और अन्य संबंधित अधिकारियों ने किसी भी संभावित पर्यावरणीय जोखिम को रोकने और कम करने के लिए सक्रिय कदम उठाए हैं।

(ख) मंत्रालय ने राष्ट्रीय संधारणीय तटीय प्रबंधन केन्द्र (एनसीएससीएम), तमिलनाडु से अनुरोध किया है कि वह एमएससी ईएलएसए 3 घटना के लिए केरल राज्य सरकार के साथ समन्वय में एक व्यापक पर्यावरण प्रभाव आकलन करे।

(ग) नौवहन महानिदेशालय ने "समुद्री दुर्घटना प्रबंधन हेतु मानक संचालन प्रक्रिया, 2021" शीर्षक से एक मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है, जो जहाज़ दुर्घटना, तेल रिसाव और अन्य समुद्री दुर्घटनाओं से संबंधित घटनाओं के लिए प्रतिक्रिया तंत्र की रूपरेखा प्रस्तुत करती है। भारतीय तटरक्षक बल ने तेल रिसाव दुर्घटनाओं से निपटने के लिए एक राष्ट्रीय तेल रिसाव आपदा आकस्मिक योजना (एनओएस-डीसीपी) विकसित की है। एनओएस-डीसीपी एक व्यापक माध्यम है, जो पर्यावरण को प्रदूषण के हानिकारक प्रभावों से बचाने के लिए विभिन्न सरकारी एजेंसियों द्वारा एकीकृत प्रतिक्रिया के लिए समन्वय तंत्र प्रदान करता है।

(घ) एमएससी ईएलएसए 3 के मामले में, केरल राज्य सरकार ने माननीय केरल उच्च न्यायालय के समक्ष एडमिरल्टी मुक्दमा संख्या 12/2025 दायर किया है, जिसमें जहाज मालिकों से 9,531 करोड़ रुपये की वसूली की मांग की गई है।

(ङ) मंत्रालय ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम (ईपीए), 1986 की धारा 19 के प्रयोजन के लिए राज्य सरकारों अर्थात राज्य सरकार (पर्यावरण प्रभारी सचिव राज्य सरकार द्वारा प्रतिनिधित्व), राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) के अध्यक्ष और सदस्य सचिव और कलेक्टर आदि को ईपीए, 1986 के तहत मामला दर्ज करने के लिए प्राधिकृत किया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और केरल, गुजरात और जम्मू-कश्मीर के एसपीसीबी ने बताया कि पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष में ऐसा कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है।

*****